बिहार शिक्षा परियोजना, गया

शिक्षा भवन, गया–823001

Web :- www.educationgaya.in. Email Id- bepcgaya@gmail.com

पत्रांकः PVT/26/(14-15)/2020-21/---2138

प्रेषक,

उपेन्द्र कुमार सिंह,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
–सह–सदस्य सचिव,
जिला प्रस्वीकृति समिति, गया।

प्रेषित,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,
जयहिन्द पलिब्क स्कूल,
गया डोभी रोड, बोधगया,
गया– 824234 (बिहार)

गया, दिनांक 24/6/21

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा–18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के नियम–11, उपनियम–05 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा–18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के नियम–11, उपनियम–05 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन –पत्र के आलोक में अंकित करना है कि **Jai Hind Educational & Welfare Soceity** के अधीन संचालित विद्यालय **Jai Hind Public School] Gaya Dobhi Road Bodhgaya, Gaya** को कक्षा–01 से कक्षा–08 तक संचालन हेतु 31.03.2022 तक की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति विस्तारित की जाती है।

<u>प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अनुपालन के अधीन होगीः–</u>

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा–08 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली–2011, (अनुलग्नक–02) के प्रावधानों का आवश्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस / पोषक क्षेत्र के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों (EWS) का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालपन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका–03 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के धारा–12 की उपधारा– 02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

SK
24.6.21

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म–स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :–

   i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

   ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

   iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

   v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

   vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 31 मार्च, 2019 तक अनिवार्य रूप से निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

   vii. विद्यालय के सभी शिक्षक अधिनियम की धारा–24 की उपधारा–01 मे प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगें।

   viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् है–

क. विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल :	– 12.21 एकड।
ख. कुल निर्मित क्षेत्र :	– 5000 वर्गफीट।
ग. खेल के मैदान का संख्या :	– 1
घ. वर्गकक्षों की कुल संख्या :	– 30 वर्गकक्ष।
च. प्रधानाध्यापक– सह– कार्यालय– सह भंडार कक्ष :	– उपलब्ध है।
छ. बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय :	– उपलब्ध है। (बालक–22, बालिका–12)
ज. पेयजल की सुविधा :	– 52 नल (RO सुविधा सहित)

24.6.21

झ. मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर : – लागू नहीं।

ट. बाधारहित पहुँच : – हाँ।

ठ. शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालय : –पर्याप्त मात्रा में, पुस्तकालय एवं साइंस प्रयोगशाला है।

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाए अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, गया को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या **G-0026/Pvt.S/2014** है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, गया के द्वारा समय–समय पर मांग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएं, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर जारी सभी अनुदेशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

19. अनुलग्नक–III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

20. प्रस्वीकृति हेतु उपलब्ध करायी गयी कोई भी जानकारी/सूचना यदि असत्य पाया गया तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन का होगा और प्रस्वीकृति स्वतः रद्द कर दिया जाएगा।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(उपेन्द्र कुमार सिंह)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
–सह– सदस्य सचिव, जिला प्रस्वीकृति समिति,
गया।